(65)

न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर ,

ef-R-15/-2

1-महेन्द्र कुमार पिता भगवानदास अवधिया निवासी मोहल्ला कटरा रीवा तह0 हुजूर जिला रीवा म0प्र0

2- शिव प्रसाद तनय गयादीन अवधिया निवासी मोहल्ला कटरा रीवा तह0 हुजूर जिला रीवा म0प्र0 ------ निगरानी कर्ता गण

बनाम

1- विजय कुमार सोनी (अवधिया) तनय केमला प्रसाद अवधिया ,निवासी मोहल्ला कटरा रीवा तह0 हुजूर जिला रीवा म0प्र0 --- गैर निग0 कर्ता

R- 1692-I/2001

श्री के० के० त्रिपाठी अभि० द्वारा आज दि० 7/9/2001 को प्रस्तुत।

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
7 SEP 2001

निगरानी विरुद्ध आदेश श्री मान अपर - कमिश्नर रीवा संभाग रीवा म0प्र0 , के प्रकरण क्र0 138 /अपील/ 93-94, मे पारित आदेश दि0 12-6-2001, एवं न्यायालय नजूल तहसीलदार तह0 हुजूर जिला रीवा म0प्र0 के प्रकरण क्र0 28-अ -6/91-92, मे पारित आदेश दि0 30-9-93,

------ ------ --------------

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0 रा0 संहिता सन् 1959 ई ,

KK tripathi 7.9.01
के.के.त्रिपाठी एडवोकेट

मान्यवर,

निगरानी आवेदन पत्र के आधार निम्न लिखित है:-

(1) चूंकि विचारण न्यायालय का आदेश एवं द्वितीय अपीलीय - न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

... नं0 2687 रकबा 0-02 ए0 मे स्थित ग्रा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग -- अ

प्रकरण कमांक निग0 1692–एको/2001 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश महेन्द्र विरूद्ध विजय कुमार	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28 –11–2016	यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 138/अपील/93–94 में पारित आदेश दिनांक 12.06.2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण अपर आयुक्त रीवा के विवादित आदेश दिनांक 12.6.2001 अंकित होने से यहां उल्लेख करने की आवश्यकता नही है। प्रकरण में मुख्य विबाद अनावेदक के पक्ष में मृतक मांगीबाई द्वारा संपादित वसीयतनामा दिनांक 4.6.91 के आधार पर हुए नामांतरण से उत्पन्न होना परिलक्षित हो रहा है। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री के0 के0 द्विवेदी एवं अनावेदक अधिवक्ता श्री एस0 के0 श्रीवास्तव उपस्थित। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दौराने तर्क अभिलेख के आधार पर निर्णय लेने का अनुरोध किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ताओं के अनुरोध के अनुकम में मेरे द्वारा प्रकरण के संलग्न उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर यह तथ्य प्रमुखता से सामने आ रहे है कि– प्रथमतः तो वसीयत में जिस प्लाट कमांक 99 के 1323 वर्गफीट जो कि वसीयत कर्ता के नाम नजूल अभिलेख में अंकित था, के स्थान पर वसीयत कर्ता द्वारा प्लाट कमंक 58 रकवा 3000 वर्गफीट का वसीयतनामा में उल्लेख कर वसीयतनामा संपादित किया गया। द्वितीय यह कि आवेदक को तहसीलदार द्वारा नामांतरण कार्यवाही के समय सुनवाई का अवसर नही दिया	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश महेन्द्र विरूद्ध विजय कुमार	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

गया।

तृतीय यह कि आवेदक द्वारा अपने निगरानी मेमो के बिन्दु कमांक 7 में यह अंकित कर अवगत कराये जाने का प्रयास किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया कि नजूल जांच अधिकारी द्वारा उक्त विवादित प्लाट के संबंध में जो जांच प्रतिवेदन दिया गया है उसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि विवादित भूमि को रामेश्वर प्रसाद ने रामभरोसे व गयादीन को बेचा था जो कि निगरानीकर्ता गण के पूर्वज थे। प्रतिवेदन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि विवादित भूमि में मांगीबाई का नाम कैसे अंकित किया गया इस संबंध में कोई प्रमाण नहीं है। जब विवादित प्लाट पर वसीयतकर्ता मांगी बाई का नाम अंकित होने के संबंध में ही प्रमाण उपलब्ध नहीं है तब उसे वसीयत करने का अधिकार किस प्रकार से प्राप्त हो गया यह स्पष्ट नहीं है। निगरानी मेमो के बिन्दु कमांक 9 में यह भी उल्लेख किया गया है कि कथित वसीयतनामा में पहले क्षेत्रफल के स्थान पर 1800 वर्गफीट लिखा गया फिर इसे काटपीट कर 3000 वर्गफीट किया गया इस सुधार एवं काटपीट पर किसी के भी हस्ताक्षर नही है।

प्रकरण में उपस्थित उक्त बिन्दुओं के संबंध में मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 12.6.2001 का अवलोकन किया गया अवलोकन करने पर पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रश्नाधीन आदेश में विवादित बिन्दुओं का विस्तृत विश्लेषण किया गया है । तृतीय बिन्दु के संबंध में मेरे द्वारा विचारण न्यायालय तहसीलदार नजूल रीवा के आदेश दिनांक 30.9.93 का अवलोकन करने पर पृष्ट कमाक 4 पर अंकित प्रश्न ''क'' में

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश महेन्द्र विरूद्ध विजय कुमार	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

स्पष्ट रूप से विवेचना की गयी है जिसके अनुसार मांगीवाई को विवादित प्लाट की वसीयत करने का अधिकार प्राप्त था। निगरानी मेमों में उठाए गये प्रश्न कि वसीयत में अंकित क्षेत्रफल में काटपीट की गयी थी इस संबंध में यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के साथ वसीयत नामा की प्रति अवलोकन हेतु उपलब्ध नहीं हुई है, किन्तु तहसीलदार नजूल द्वारा अपने आदेश दिनांक 30.9.93 के पृष्ठ कमांक 6 पर प्लाट कमांक 58 वसीयत नामा में गलत अंकित होने की विस्तृत विवेचना की गयी है। इस प्रकार विस्तृत विवेचना उपरांत ही नामांतरण की कार्यवाही की गयी है। अतः विचारण न्यायालय तहसीलदार नजूल का आदेश दिनांक 30.9.93 एवं अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 12.6.01 में की गयी विवेचना इस आदेश का भाग मानी जावेगी।

उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा द्वारा विस्तृत एवं बोलता हुआ आदेश जारी किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यह निगरानी अस्वीकार की जाती है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस किया जावे। प्रकरण दा.रि.हो।

सदस्य